	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-7-18	पत्रावली पेश हुई वादी उपस्थित वादी ने साक्ष्य शपथपत्र पेश किया पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर संलग्न कमरूद्दीन पुत्र नूरअली ने रहन मुक्त किये जाने का शपथपत्र पेश किया हुआ है एव रहन हटाने पर कोई आपत्ती नही की गई अतः पत्रावली का निस्तारण किया जाता है. विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली कैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	3/25/6/12

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

दावा संख्या 49 / दावा / 16 पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा RAS

दायरा दिनांक–8.7.2016

उनवान

1. नरेश कुमार आयु बालिग आत्मज श्री हीरालाल जाति मेहर निवासी ग्राम नोताडा हाल निवासी ग्राम घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ जिला– बून्दी राज.

––वादी

बनाम

1. कमरूद्दीन आत्मज जहूर अली जाति मुसलमान निवासी ग्राम घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2. सत्यनारायण आयु बालिग आत्मज हीरालाल
3. मुकेश कुमार आयु बालिग आत्मज हीरालाल
4. लाडबाई आयु बालिग पुत्री हीरालाल
5. गीताबाई आयु बालिग पुत्री हीरालाल
6. मन्जूबाई आयु बालिग पुत्री हीरालाल
7. पन्नी बेवा हीरालाल

   जातियान मेहर निवासीगण नौताडा हाल निवासी घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.।
8. बन्टी आयु बालिग आत्मज हेमराज
9. मनीष आयु बालिग आत्मज हेमराज
10. दिनेश आयु बालिग आत्मज हेमराज
11. नटीबाई बेवा हेमराज

जातियान मेहर निवासीगण ग्राम नोताडा हाल निवासी चन्द्रपुरिया तैलियों के मन्दिर के पास, पहलवान जी की गली, छावनी कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.

12. श्याम आयु बालिग आत्मज मोतीलाल
13. सुभाष आयु बालिग आत्मज मोतीलाल

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

14. बजरंगीबाई आयु बालिग बेवा मोतीलाल
जातियान मेहर निवासीगण ग्राम नोताडा हाल निवासी सदर हाट बाजार टेक के पास रावतभाटा जिला कोटा राज.

15. रामचन्द्र आयु बालिग आत्मज रामलाल जाति मेहर निवासी ग्राम घाट का बराना तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी

16. सेठी आयु बालिग आत्मज प्रभुलाल जाति मेहर निवासी घाट का बराना तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी

17. रिंकू आयु बालिग आत्मज प्रभुलाल जाति मेहर निवासी घाट का बराना तह. इन्द्रगढ जिला बून्दी

18. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.

––प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 43, 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक–30.06.18

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 43, 88, 89 आर.टी.एक्ट जर्ये अधिवक्ता पेश किया गया। वाद पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं–

वादी व प्रतिवादी 2 लगायत 17 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता सं. 221 खसरा सं. 854 रकबा 1.41 हैक्टर वाके ग्राम घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज. में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी 2 लगायत 17 खातेदार कृषक है। कृषि भूमि के सेटलमेन्ट 1995 से 2015 के पूर्व के खसरा नं. 495 रकबा 9 बीघा 4 बीस्वा थे जो जमाबन्दी संवत 2046–2049 में रामनाथ, देवलाल, रामलाल, हीरालाल, प्रभुलाल पिता भागौता कौम मेहर सा. नोताडा खातेदार व राहिन जहूर अली आत्मज भूरे खां कौम मुसलमान निवासी घाट का बराना के रहन दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी 2 लगायत 17 के पूर्वजों ने करीब 50 वर्ष पूर्व जहूर अली आत्मज भूरे खां से ऋण लिया था और रहन में वाद पत्र की चरण कम 1 में वर्णित कृषि भूमि को रखा था। जहूर अली का ऋण दिनांक 31.3.1994 को चुकता कर कृषि भूमि रहनमुक्त करवा ली थी और कब्जा प्राप्त कर लिया था जिस पर वर्तमान में वादी व प्रतिवादी कब्जा काश्त है। उक्त रहन की प्रविष्टि को तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद भी नहीं हटाया गया है जिससे वादी व प्रतिवादीगण अपने हक अधिकार से वंचित है। और रहनकर्ता जहूर अली ने अपने जीवनकाल में रहन मुक्ति की तहरीर 5–5 रूपये के दो नोन जूडि. स्टाम्प पर लिखकर अपने हस्ताक्षर कर गवाहान

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

की गवाही के हस्ताक्षर करवाकर खातेदार रामनाथ, देवलाल, रामलाल हीरालाल, प्रभुलाल पिता भागौता के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। वर्तमान में जहूर अली की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान में प्रतिवादी नं. 1 उसका पुत्र कमरूद्दीन है जिसको भी रहनमुक्ति में कोई ऐतराज नहीं है।

राजस्व रिकार्ड में रहन की प्रविष्टि होने से वादी व प्रतिवादी अपनी कृषि भूमि के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे है और अपने अधिकारों से वंचित है। उक्त रहन प्राइवेट रहन की श्रेणी में आता है जिसकी कानूनन अधिकतम 5 वर्ष की है जो पूर्ण हो चुकी है और 1970 के अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति की भूमि स्वर्ण के रहन को शून्य घोषित करती है। और रहन की प्रविष्टि कानूनन स्वतः ही निरस्तनिय है।

खातेदार रामनाथ, देवलाल, रामलाल, प्रभुलाल आत्मज भागौता के फौत हो जाने से उनके जायज वारिसान की प्रतिवादीगण बनाया गया है। प्रतिवादीगण 2 लगायत 17 से किसी प्रकार का नहीं चाहा गया है। सहखातेदार होने से व वादपत्र पेश करते समय उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण बनाया गया है।

कृषि भूमि खसरा नं. 854 रकबा 1.41 हैक्ट. वाके ग्राम घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज. में स्थित भूमि में से जहूर अली की रहन की प्रविष्टि को हटाने के आदेश प्रदान करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 8 लगा 11, 13 लगा 15 बाद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 2 लगा 7 व 12, 16 व 17 व उनके अधिवक्ता नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

नियतपेशी पर वादी द्वारा स्वंय उपस्थित होकर शपथ पत्र pw1 पेश किया गया। प्रकरण को केम्प कोर्ट/लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय में पेश किया गया। वादी स्वंय उपस्थित हुआ। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन स्वंय का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया, जिसे रिकार्ड पर लिया गया।

स्वंय वादी द्वारा एकपक्षीय बहस की गयी। बहस समाहत की गयी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

हमने वादपत्र के संलग्न पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2068–71 खाता सं. 221 खसरा सं. 854 रकबा 1.41 रामनाथ देवालाल रामलाल प्रभुलाल पि. भागोता हि. 4/5 नरेश कुमार सत्यनारायण मुकेश कुमार पि. हीरालाल, लाडबाई, गीताबाई, मन्जूबाई पुत्रिया हीरालाल पन्नीबाई बेवा हीरालाल हि. 1/5 कोम मेहर सा नोताडा खातेदार राहिन जहुरअली पुत्र भूरे खा कौम मुसलमान सा. देह दर्ज है।

जमाबंदी संवत 2046–2049 ग्राम घाट का बराना खसरा सं. 445 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा है तथा जहूरअली आत्मज भूरे खां कौम मुसलमान राहिन दर्ज है।

जहूरअली द्वारा निष्पादित स्टाम्प दिनांक 31.5.94 का अवलोकन किया गया जिसमें जहूर अली द्वारा 31.5.94 को विवादित आराजी का कब्जा वापस संभलाने का कथन दर्ज है। तथा रहन खारिज करने पर कोई आपति नही होना भी दर्ज है। कमरूद्दीन पुत्र जहूरअली का शपथ पत्र में रहन हटाने पर कोई आपति नही होना बयान किया है। इस सन्दर्भ में नियमों की स्थिति का भी अध्ययन किया गया। राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43(2) के प्रावधानानुसार खातेदार कृषक को अपनी कृषि भूमि दूसरे व्यक्ति के यहां रहन बिल कब्ज रखने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु ऐसे रहन की अवधि पांच वर्ष से अधिक किसी सूरत में नहीं हो सकती, पांच वर्ष के पश्चात स्वतः भुगतान हो गई, समझी जायेगी। कृषि भूमि का कोई रहन बिल कब्ज 5 वर्ष की अवधि से अधिक का नही हो सकता तथा यह अवधि समाप्त होने पर रहन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

साथ ही उक्त प्रकरण में स्वंय जहूरअली द्वारा स्टाम्प दिनांक 31.5.94 में पुनः कब्जा संभलाने का कथन किया गया है। साथ ही खातेदार अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा सीधे अपने वर्ग के व्यक्ति के पास ही अपनी कृषि भूमि के लिये रहन रख सकेंगे। अतः रहन स्वतः समाप्त हो चुका है।

उक्त विवेचन के उपरान्त वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है अतः वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ को वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा सं. 854 रकबा 1.41 है, वाके ग्राम घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ में स्थित भूमि में से जहूर अली की रहन की प्रविष्टि हटाने के आदेश दिया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

Scanned by CamScanner

FD डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास सुश्री शशिमा लाटा R.A.S.

1 नरेश कुमार पुत्र हीरालाल जाति मेहर निवासी नोताडा हाल निवासी घाट का बराना
वादी

बनाम 1 कमरुद्दीन पुत्र जहूर अली जाति मुसलमान निवासी घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह.
प्रतिवादिगण।

दावा बाबत 43, 88, 89 RTA.

मुकदमा नम्बर 49/दावा/16 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व हाजिरी

मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेश दिया जाता है। खाता सं. 221 खसरा नं. 854 रकबा 1.41 हैक्टर वाके ग्राम घाट का बराना तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि से जहूरअली की रहन प्रविष्टि को विलोपित किया जावे.

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन

मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30-6-2018 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

2. सत्यनारायण पुत्र हीरालाल
3. मुकेश कुमार पुत्र हीरालाल
4. लाड बाई पुत्री हीरालाल
5. सीताबाई पुत्री हीरालाल.
6. मन्जूबाई पुत्री हीरालाल
7. सन्तो बेवा हीरालाल.
सभी जातियान मेहर निवासीगण नैनवा हाल रामगन्ज बालाजी तहसील [illegible]
8 बन्शी पुत्र हीराराज
9. ~~मनीष~~ पुत्र हीराराज.
10. हरीश पुत्र हीराराज.
11 नन्दी बेवा हीराराज
सभी जातियान मेहर निवासीगण नैनवा.
12. श्याम पुत्र मोतीलाल
13 सुभाष पुत्र मोतीलाल
14 बजरंगी बाई बेवा मोतीलाल जातियान मेहर निवासी नैनवा.
15. रामचन्द पुत्र रामलाल
16. सेवी पुत्र प्रभुलाल जाति मेहर
17 पिंटू पुत्र प्रभुलाल मेहर निवासी धान का बराना.
18 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार इन्दरगढ़.

अप्रार्थीगण.

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)